

प्रेषक,

इन्दु रानी  
अपर सिविल जज (जू० डि०),  
कोर्ट नं० ०६, बिजनौर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
जनपद बिजनौर।

विषय- शासनादेश संख्या 1363-2-4-2009-45(12)/91 टी०सी० नियुक्ति अनुभाग-4 लखनाऊ, दिनांकित 13 मई 2009 और शासनादेश संख्या 1705-2-4-2011-45(120/91) टी०सी० नियुक्ति अनुभाग लखनाऊ दिनांकित 03.01.2012 के अनुसार स्नाकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय महोदय से ससम्मान निवेदन है कि मैं उ०प्र० न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 के परिणाम घोषित होने के दिनांक 20.07.2019 के पूर्व ही विधि की स्नाकोत्तर उपाधिधारक (एल०एल०एम०) परीक्षा उत्तीर्ण हो गयी थी।


उ० प्र० शासनादेश संख्या 1363-2-4-2009-45(12)/91 टी०सी० नियुक्ति अनुभाग-4 लखनाऊ, दिनांकित 13 मई 2009 और शासनादेश संख्या 1705-2-4-2011/45(120/91) टी०सी० नियुक्ति अनुभाग लखनाऊ दिनांकित 03.01.2012 के अनुसार उ०प्र० न्यायिक सेवा में चयन होने के पूर्व विधि की स्नाकोत्तर उपाधि (एल०एल०एम०) धारित करने वाले उ० प्र० न्यायिक सेवा के अधिकारियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया है।

अधोहस्ताक्षरी वर्तमान में नोटिफिकेशन संख्या 3768/एडमिन (सर्विसेज)/2019, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद दिनांकित 14.11.2019 के अनुपालन में अपर सिविल जज(जू० डि०), कोर्ट नं० 06, बिजनौर के पद पर पदभार ग्रहण कर वर्तमान में कार्यरत है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति दिनांक 14.11.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ स्वीकृत करने की कृपा करें।

दिनांक- 16.12.2020

भवदीया

  
(इन्दु रानी)

अपर सिविल जज (जू० डि०),  
कोर्ट नं० 06, बिजनौर।

संलग्न:- एल०एल०एम मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।